

कीटनाशक प्रबंधन अधिनियम, 2020

प्रीलिमिन्स के लिये:

कीटनाशक प्रबंधन अधिनियम, 2020

मेन्स के लिये:

कीटनाशकों के उपयोग से संबंधित मुद्दे, कीटनाशक प्रबंधन अधिनियम 2020 के नहितारथ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कीटनाशक प्रबंधन अधिनियम, 2020 (Pesticides Management Bill, 2020) को मंजूरी दे दी है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह अधिनियम कीटनाशकों के व्यवसाय को वनियमित करने के लिये लाया जा रहा है।

इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों?

- कीटनाशकों का प्रयोग कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभावित करता है, इसलिये कीटनाशकों के व्यवसाय का प्रबंधन करना आवश्यक हो जाता है।
- ध्यातव्य है कि वर्तमान समय में कीटनाशक व्यवसाय को कीटनाशक अधिनियम, 1968 (Insecticides Act of 1968) के नियमों द्वारा वनियमित किया जाता है। यह कानून अत्यंत पुराना हो गया है और इसमें तत्काल संशोधन की आवश्यकता है।

कीटनाशक अधिनियम, 2020 के मुख्य बिंदु

- कीटनाशक से संबंधित डेटा:** यह कीटनाशकों की ताकत और कमजोरी, जोखिम और विकल्पों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करके किसानों को सशक्त करेगा। ध्यातव्य है कि सभी जानकारी डजिटल प्रारूप में और सभी भाषाओं में डेटा के रूप में खुले तौर पर उपलब्ध होंगी।
- मुआवजा:** यह अधिनियम नकली कीटनाशकों के प्रयोग से होने वाले नुकसान के संदर्भ में क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। ध्यातव्य है कि यह प्रदान इस अधिनियम का सबसे महत्त्वपूर्ण बिंदु है।
 - साथ ही इसमें यह भी वर्णित है कि यदि आवश्यक हुआ तो क्षतिपूर्ति के लिये एक केंद्रीय कोष भी बनाया जाएगा।
- यह अधिनियम जैविकी कीटनाशकों के निर्माण एवं उपयोग को भी बढ़ावा देता है।
- कीटनाशक निर्माताओं का पंजीकरण:** इस अधिनियम के पारित होने के बाद सभी कीटनाशक निर्माता नए अधिनियम के तहत पंजीकरण हेतु बाध्य होंगे। कीटनाशकों संबंधी वजिजापनों को वनियमित किया जाएगा ताकि निर्माताओं द्वारा कोई भ्रम न फैलाया जा सके।

भारत में कीटनाशकों का उपयोग:

- एशिया में भारत कीटनाशकों के उत्पादन में अग्रणी है।
- घरेलू बाजार में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सबसे अधिक कीटनाशक खपत वाले राज्यों में शामिल हैं।

नकली कीटनाशकों के दुष्प्रभाव

- ये फसल, मटिटी की उर्वरता और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं।
- इनकी बिक्री से न केवल कृषकों बल्कि कीटनाशक के वास्तविक निर्माताओं एवं सरकार को नुकसान होता है, ध्यातव्य है कि नकली कीटनाशकों की

बकिरी से सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व की हानि होती है।

कीटनाशक अधिनियम, 1968

- यह अधिनियम मनुष्यों और जानवरों के लिये जोखिम को रोकने के लिये कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बकिरी, परिवहन, वितरण और उपयोग को वनियमित करने के दृष्टिकोण के साथ अगस्त, 1971 से लागू किया गया था।
- केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड इस अधिनियम की धारा 4 के तहत स्थापित किया गया था और यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है।
 - यह बोर्ड केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अधिनियम के प्रशासन में उत्पन्न तकनीकी मामलों और उसे सौंपे गए अन्य कार्यों को करने की सलाह देता है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/pesticides-management-bill-2020>

